# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी जिला – पाली

**पीठासीन अधिकारी–** राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–01 / 2017
आरसीएमएस– 2017 / 00149
तारीख निर्णय– 26 / 02 / 2020

**प्रार्थीगण :–**

1– छगनसिंह पुत्र सवाईसिंहजी, आयु– वयस्क,
2– गीता देवी पत्नि सवाईसिंहजी, आयु– वयस्क,
3– भंवरकुंवर पुत्री सवाईसिंहजी, आयु– वयस्क,
4– गजीया कुंवर पुत्री सवाईसिंहजी, आयु– वयस्क,
5– लीला कंवर पुत्री सवाईसिंहजी, आयु– वयस्क,
6– राजकुंवर पत्नि दलपतसिंहजी, आयु– वयस्क,
7– प्रवीणसिंह पुत्र दलपतसिंहजी, आयु– 16 वर्ष,
8– उषा कंवर पुत्री दलपतसिंहजी, आयु– 18 वर्ष, प्रार्थी संख्या–7 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया (माता) प्रार्थी सं0–6 राजकुंवर के, जातिगण तमाम– रावणा राजपूत, निवासीगण– नारलाई, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

**–: विरूद्ध :–**

**अप्रार्थी :–**

राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

**–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधि0 :–**

**उपस्थिति–**

प्रार्थीगण की ओर से– वकील श्री हुकमसिंह सोलंकी।
अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

**–: निर्णय :–** दिनांक– 26 / 02 / 2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–इस

–––क्रमशः पेज– 2 पर.........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–मौजा सरहद गांव– नारलाई, तहसील– देसूरी मे प्रार्थीगण की पूश्तैनी खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि आराजी पुराने खसरा नम्बर– 734 रकबा– 13 बीघ किस्म बारानी प्रथम लगान रूपयां– 8.12 विद्यमान हैं यह आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज सवाईसिंह पुत्र तेजा, जाति– रावणा राजपूत (दरोगा) निवासी– नारलाई की खातेदारी एवं आधिपत्य की थी। सवाईसिंहजी का स्वर्गवास हो चुका है, प्रार्थीगण स्व. सवाईसिंहजी के विधिक वारिसान/उत्तराधिकारीगण है। दौराने सेटलमेंट प्रार्थीगण को मात्र नये खसरा नम्बर– 591 रकबा– 1.18 हैक्टर की ही खातेदारी दी गई जबकि सेटलमेंट विभाग को पुराने इन्द्राज के मुताबिक नया इन्द्राज रकबा– 13 बीघा यानि कि 2.18 हैक्टर की खातेदारी का इन्द्राज करना था व प्रार्थीगण को रकबा– 1.0000 हैक्टर की खातेदारी नही दी गई व प्रार्थीगण को नये खसरा नम्बर– 590 रकबा– 18.88 मे से रकबा– 1.0000 हैक्टर की खातेदारी का इन्द्राज सेटलमेंट विभाग को पुराने इन्द्राज के मुताबिक करना था एवं पुराना नक्शा व नया नक्शा के मुताबि क उप्रार्थीगण के नाम पर रकबा– 1.0000 हैक्टर की खातेदारी सेटलमेंट विभाग ने दर्ज न करके कानूनी भूल की है।

खसरा नम्बर 590 का मिलान क्षेत्रफल भी गत खसरा नम्बर 736 से बनना गलत अंकित किया है व किस्म भी गलत अकित की है जबकि नक्शे में दर्शित मार्क ए बी सी डी रकबा 1.0000 हैक्टर की भूमि पुराने खसरा नम्बर 734 का भाग है जो प्रार्थीग्ण की पुरानी खातेदारी की है जिसका राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण के नाम पर सेटलमेन्ट विभाग को इन्द्राज करना था व पुराने इन्द्राज के मुताबित नये नक्शे में भी सेटलमेन्ट विभाग को इन्द्राज करना था परन्तु ऐसा न करके सेटलमेन्ट विभाग ने कानूनी भूल की हैं, पुराना नक्शा व नया नक्शा व मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिशल किया गया।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार सुनी गई पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर– 590 रकबा– 18.88 मे से रकबा– 1.0000 हैक्टर का पुराने खसरा नम्बर–734 रकबा–13 बीघा का भाग होना बता कर खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है, जो न्यायालय की राय मे धरा– 136 के अन्तर्गत कानूनन नही दिया जा सकता

---कमशः पेज–3 पर.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:40:52 IST
Reason: SelfAttested

है एवं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र मे यह स्वीकार करते हुए कि पूर्व मे हस्ब धारा- 136 राज0भू-राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व विविध प्रकरण संख्या- 21/2011 पेश किया था, जिसका निर्णय दिनांक- 12/12/2011 को इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे किया गया है जो कि स्वीकृत एवं निर्विवादित तथ्य है एवं विधि का यह सुस्थापित एवं सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब एक बार प्रार्थीगण द्वारा हस्ब धारा-136 के तहत पूर्व मे अनुतोष एवं लाभ प्राप्त कर लिया है एवं इसी न्यायालय द्वारा पूर्व मे धारा- 136 के तहत निर्णय आदेश पारित किया जा चुका है, जिससे कानूनन इसी संबंध मे हस्ब धारा- 136 के तहत दुबारा कोई अनुतोष प्राप्त करने का प्रार्थीगण को अधिकार नही है एवं दुबारा न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय आदेश कानूनन पारित नही किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे धारा- 136 के तहत पारित निर्णय आदेश के संबंध मे प्रार्थीगण को कोई आपत्ति थी तो प्रार्थीगण उक्त पूर्व आदेश की अपील करनी चाहिए थी।

उपरोक्त विवेचन मे न्यायालय की राय मे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 136 के अन्तर्गत पोषणीय नही होने एवं पूर्व मे अन्तर्गत धारा- 136 के तहत प्रकरण संख्या- 21/20011 मे प्रार्थीगण को अनुतोष प्रदत्त कर दिया गया था जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम कानूनन पोषणीय नही होकर स्वीकार य़ोग्य नही है।

**-: आदेश :-**

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र हस्ब धारा- 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:10:52 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आदेश आज दिनांक 26/02/2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)